

दिनांक, शिमला-171009,

26 FEB 2016

2016.

कार्यालय आदेश

सचिव, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएँ चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश में कनिष्ठ लेखा परीक्षक के पद पर ₹14100/-प्रतिमास की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम पर एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबन्ध आधार पर नियुक्त करने का प्रस्ताव है :-

Sr.No	Name & address of the candidate	Employment registration No.	Employment Exchange	Place of Posting
1.	Sh. Vinod Kumar S/o Thakur Singh Vill. Swai P.O. Sidhot Teh. Churah Distt. Chamba H.P Pin 176321.	161/2006	Tissa	Headquarter Office, Kasumpti, Shimla-9
2.	Sh. Dheeraj Kumar S/o Sh Ramesh Kumar, Vijay Nagar P/O Totu, Teh. Shimla Distt. Shimla H.P Pin-171011	Not Registered	NA	Headquarter Office, Kasumpti, Shimla-9 against the post of Shri Anil Gupta (Administrative Assistant-I) who will join at H.P University, Shimla-5 against vacant post after providing full training of seat to new incumbent.
3.	Sh. Bir Singh S/o Sh. Bikaramjit VPO. Ichhi Teh. Kangra, Distt Kangra H.P Pin-176209	15012305035	Dharamshala	Resident Audit Scheme, Himachal Pradesh University, Shimla-5
4.	Sh. Sandeep Kumar S/o Sh. Dev Raj VPO. Dadh Teh Palampur Distt. Kangra H.P Pin176052	201203217	Palampur	Resident Audit Scheme, Dr. Y.S. Parmar U&HF, Nauni Solan, H.P
5.	Sh. Subash Chand S/o Sh. Amar Singh, Near Forest Colony, Kuther P.O Chowari Teh. Bhattiyat Distt. Chamba H.P Pin-176302.	438/013	Chowari	Resident Audit Scheme, Chaudhary Sarwan Kumar, Agriculture University, Palampur, District Kangra, H.P
6.	Sh. Lalit Kumar S/o Sh. Daleep Singh Vill. Pali. P.O. Panarsa, Sub Teh. Aut, District Mandi, H.P Pin-175121	201000839	Mandi	Headquarter Office, Kasumpti, Shimla-9

(क) नियुक्ति की निबन्धन एवं शर्तें निम्नलिखित हैं:-

1. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹14100/-की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सन्तोषजनक कार्य पाए जाने पर आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ₹423/-की वार्षिक वेतन वृद्धि का हकदार होगा और कोई प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
2. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतः अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी
3. संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति एक माह के सेवाकाल के पश्चात एक दिवस के आकस्मिक अवकाश का सुपात्र होगा। तथापि संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति सोलह सप्ताह के मातृत्व अवकाश व दस दिनों के चिकित्सा अवकाश तथा पांच दिन के विशेष अवकाश का भी हकदार होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा अवकाश रियायत यात्रा इत्यादि का हकदार नहीं होगा। संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा। परन्तु अव्ययित आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश तथा विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किए जा सकेंगे तथा आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रेषित नहीं किए जाएंगे।
4. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की पर्यावसान (समाप्त) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
5. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण तीन वर्ष के सेवाकाल के उपरान्त आवश्यकता अनुसार प्रशासनिक आधार पर किया जा सकेगा।
6. चयनित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण से पहले सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना नवीनतम आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।
8. नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे कि एफ0आर0-एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे।
9. अगर विवाहित हैं तो, घोषणा करनी होगी कि आपकी एक से अधिक पत्नियां नहीं है।
10. भारतीय संविधान के प्रति आज्ञाकारिता एवं सत्यनिष्ठा की शपथ/प्रतिज्ञान लेना होगा।
11. अभ्यर्थी को संलग्न प्रपत्र पर सरकार के साथ करार हस्ताक्षरित करना होगा।
12. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण के पश्चात् विभागीय प्रशिक्षण मैन्युअल के प्राधानानुसार तीन माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(ख) नियुक्ति निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की मूल एवं सत्यापित प्रतिलिपियों के प्रस्तुतीकरण पर निर्भर करेगी :-

1. शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।
2. आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।
3. सचरित्रता का नवीनतम प्रमाण-पत्र, जोकि निर्धारित प्रपत्र पर केन्द्रीय या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
4. आई.आर.डी.पी./अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र।

(ग) यदि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाएं तथा घोषणाएं गलत सिद्ध हुईं तो उम्मीदवार को किसी भी समय बिना किसी भुगतान के सेवा से मुक्त किया जाएगा तथा दूसरी कार्यवाही, जो भी सरकार चाहे, की जाएगी।

(घ) इस नियुक्ति पर कार्यग्रहण के लिए कोई भी यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा।

यदि उपरोक्त अभ्यर्थियों को ऊपर वर्णित निबन्धन एवं शर्तों पर यह नियुक्ति स्वीकार हो तो वे इन आदेशों की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर या इससे पूर्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, एस0डी0ए0 कम्पलैक्स, ब्लॉक न0 38, कसुम्पटी शिमला-171009 में वांछित प्रमाण-पत्रों सहित करार हस्ताक्षरित और कार्य ग्रहण करने के लिए उपस्थित हों अन्यथा निर्धारित अवधि के पश्चात् यह नियुक्ति रद्द समझी जाएगी।



निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009

संख्या: संख्या:1-136/72-फिन[एल0ए0]खण्ड-12, दिनांक, शिमला-9

2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित है:-

- 1 उपरोक्त अभ्यर्थियों को उनके गृह पते पर पंजीकृत पत्र द्वारा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 2 सचिव, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर-177001 को उनके पत्र संख्या: एचपी-एस0एस0एस0-बी0-बी(2)-813/2014-39651-652, दिनांक 12.02.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- 3 संयुक्त नियन्त्रक, (लेखा परीक्षा) निवासी अंकेक्षण योजना, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला-5 को सूचनार्थ।
- 4 संयुक्त नियन्त्रक, (लेखा परीक्षा) निवासी अंकेक्षण योजना, चौधरी सरवन कुमार, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, काँगड़ा को सूचनार्थ।
- 5 उप निदेशक-1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 6 उप नियन्त्रक, (लेखा परीक्षा) निवासी अंकेक्षण योजना, डा0 यशवन्त सिंह परमार, वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय, नौणी सोलन, को सूचनार्थ।
- 7 प्रभारी, उप रोजगार कार्यालय, तीसा, जिला चम्बा, (हि0प्र0) को सूचनार्थ।



- 8 प्रभारी, रोजगार कार्यालय, धर्मशाला, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0) को सूचनार्थ ।
- 9 प्रभारी, रोजगार कार्यालय, पालमपुर, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0) को सूचनार्थ ।
- 10 प्रभारी, उप रोजगार कार्यालय, चुवाडी, जिला चम्बा, (हि0प्र0) को सूचनार्थ ।
- 11 प्रभारी, उप रोजगार कार्यालय, मण्डी, जिला मण्डी,, (हि0प्र0) को सूचनार्थ ।
- 12 सम्बन्धित कर्मचारियों की निजी नस्तियों को संदर्भ एवं अभिलेख हेतु ।
- 13 मुख्यालय में कार्यरत सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- ✓ 14 नस्ति सं0 1-31/67-फिन{एल0ए0}, सं0 1-158/73-फिन{एल0ए0} और सं0 1-253/74-फिन{एल0ए0} को संदर्भ एवं अभिलेख हेतु ।
- 15 गार्ड नस्ति ।


निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009. ४